बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः यो04 / मु.क्षे.वि.यो.–95 / 2013–3718 / यो0वि0, दिनांक 26 अगस्त, 2014

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सचिव

सेवा में,

सभी जिला योजना पदाधिकारी,
बिहार

विषयः **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन तथा अवशेष राशि से नई योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका–2014 विभागीय पत्रांक 2905 दिनांक 11.07.2014 द्वारा निर्गत है।

योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम–159क में अतिरिक्त उपकंडिका (।।।) के प्रावधान में पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक 5255 दिनांक 23.06.2014 से निम्नांकित संशोधन किया गया है।

"15 लाख रूपये से कम राशि की योजनाएँ जिनका कार्यान्वयन योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा किया जा रहा है, को विभागीय रूप से भी कराया जा सकता है। विभागीय स्तर पर कार्य कराने हेतु सामग्रियों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर कोटेशन के माध्यम से तथा मजदूरी का भुगतान उपस्थिति नामवली (मस्टर रोल) (PWA FORM NK.-21) के माध्यम से किया जायेगा।

2. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देते समय पथ निर्माण विभाग के उक्त संशोधन को ध्यान में रखा जाय। संकल्प निर्गम की तिथि के पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं पर यह लागू नहीं होगा।

3. संशोधित मार्गदर्शिका की कंडिका–8(7) में यह प्रावधान है कि माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद् के जिला मे बदलाव की परिस्थिति में पूर्ववर्ती जिले में कार्यान्वित करायी जा रही योजनाओं के वित्तीय दायित्व की पूर्ति के उपरांत अवशेष राशि ही माननीय सदस्य द्वारा चयनित जिले में हस्तांतरित होगी। साथ ही कंडिका–8(8) में यह प्रावधान है कि निर्वाचित / मनोनीत सदस्य बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद् के पदत्याग एवं मृत्यु या अन्य कारणों से उत्पन्न रिक्ति की स्थिति में शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित / मनोनीत सदस्यों को पूर्ववर्ती सदस्य के द्वारा चयनित योजनाओं के दायित्व की पूर्ति के पश्चात् अवशेष राशि हस्तांतरित हो जायेगी।

4. उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में माननीय सदस्य के द्वारा चयनित जिले में हस्तांतरित अवशेष राशि तथा चयनित योजनाओं के दायित्व की पूर्ति के पश्चात हस्तांतरित अवशेष राशि के विरूद्ध योजनाओं का कार्यान्वयन अद्यतन संशोधित मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के आलोक में ही किया जायेगा।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका 6 में अनुमान्य योजनाओं की सूची वर्णित है। इन्हीं योजनाओं की अनुशंसा माननीय सदस्यों द्वारा की जानी है। यदि प्रशासनिक स्वीकृति देने के पश्चात् किसी योजना को अपरिहार्य कारणवश रद्द कर दिया गया हो या प्रशासनिक स्वीकृति देना संभव नहीं हो तब प्रशासनिक स्वीकृति की सूची से इन योजनाओं को हटा दिया जाय तथा शेष बची योजनाएँ ही योजना सूची में रखी जाय एवं तदनुसार अद्यतन प्रावधान के तहत योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाय।

उपर्युक्त के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाय।

विश्वासभाजन

26/8/2014

(पंकज कुमार)

सचिव

ज्ञापांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–95/2013-3718/यो0वि0,दिनांक 26 अगस्त,2014

प्रतिलिपिः मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/8/2014

सचिव,

योजना एवं विकास विभाग